

प्राप्ति 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 148952/
57415

कार्यालय शिक्षा विभाग अधिकारी (बरतावाह), संघरणपट्टी

स्कूल: Parents Pride International
School

मान्यता वाल प्रबन्ध - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

तिथि - 2022-23

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2022-05-06 5:25:40 +05:30
Reason: Issued By: Deo Khargone

परिचय,

परिचय (Parents Pride International School)

मि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2008 की धारा 18 के प्रयोग के लिए मि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार शिक्षा, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रदान पर।

महोदय / महोदया,

आपकी आवेदन पर दिनांक 21/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रश्नात्मक पत्र दस्तावेज़ / निरक्षण के अन्दर है, इस आपकी स्कूल - Parents Pride International School ड्राइवर नंबर - 23271328104 स्कूल नंबर - PG 57415 को कक्षा वी प्राइमरी-जूनियर से अड्डी तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कारबाही के लिए मान्यता प्रदान करता है।

उपरोक्त स्कूलकृति शर्तों के पूर्णते के अधीन होती हैं।

* मान्यता विस्तारित नहीं होती तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संवेदनशुल्क की कोई बाधायता किसी भी रूप में विवरित नहीं होती है।

* स्कूल नियमित और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2008 (उपर्युक्त 1) तथा मि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपर्युक्त 2) के उपरोक्त के पालन करेगा।

* स्कूल, उपरोक्त पाठ्यों की सीमा के बावजूद स्कूल तथा कामों वाले के बालकों को कक्षा 1 से मन्दातम 25 प्रतिशत पर्वत देता। उस दशा में स्कूल यदि लाभकारी प्राप्ति स्कूल है तो इसके प्रतिवित बालकों को उस अनुसार ये मि-शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना जिस समय में उसके वार्षिक आवार्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक अवधी स्कूलता या अनुदान प्राप्त होता है जिसका यह स्कूलता वर्षीय प्रतिवित के अधीन होता है जिसके लिए स्कूल पूर्ण स्कूल (पी स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम संख्या 12 की उपर्युक्त (1) के छंट (क) से (ग) के उपर्युक्तकृति ग्रहण करेगा।

* पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल के अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की आएगी तथा उसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पूरक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होता।

* सोसाइटीस्कूल और भी बैंकिंग सेवा के संबंध नहीं करना तथा बालक या उसके पालक या अधिकारक के साथ किसी ऊनबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।

* स्कूल किसी ओर बालक को प्रदेश देने से इकार नहीं करेगा -

० (क) आगु के संबूत के आगाव में ;

० (ब) यदि प्रदेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालबाही के परायात ऐसा प्रदेश बाहर नहीं होता है;

० (ग) पर्यावरण, जाति या समूहों, उन्नति या उन्नति से किसी ओर आगाव पर।

* स्कूल सुनिधित्व करता है -

० किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी ओर बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा।

० किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताढ़ित नहीं किया जाएगा;

० प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक से कोई शोषण परीक्षा उत्तीर्ण बनाने कि अवश्यकता नहीं होती;

० नियम 13 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण बनने वाले प्रारंभिक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;

० अधिनियम के उपरोक्ते के अनुसार नियमकारिता बालबाहीकरण बालकों को समाहित किया जाएगा।

० अधिनियम की धारा 23(1) कि अधीन नियमित स्कूलता योग्यता अनुदान दियाजाए तो भर्ती कि जाएगी, वर्षार्ष कि योग्यता में कार्यत जो शिक्षा इस अधिनियम के प्राप्तन होने पर स्कूलता आहता नहीं रहते हैं, उन्हें अधिनियम के प्राप्तन होने के दिनांक से 5 दर्ज कि अधीन में नियमित स्कूलता आहता प्राप्त करनी होती।

० शिक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन नियोदित जरूरतवाही का पालन करना होगा।

० प्रायोगिक लीविंग कि नियमितियाँ में शिक्षक स्वरूप भग्न नहीं लेगेंगेगी।

* स्कूल समुदायित जाधिकारी द्वारा नियमित पालकदारी का अनुसूचण करेगा।

* अधिनियम की धारा 19 में विहित कि अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में वर्षार्ष कर नामांकन किया जाएगा।

[Signature]
**District Education Officer,
Distt-Khargone (M.P.)**

• स्कूल द्वारा अधिनियम के धारा 19 ने प्रिनिट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम नियोजन के गमन स्कूल में उपलब्ध तुषिताएं निचलानुसार गाई गई -

| स्कूल का विवरण | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|---------|---------------|--------------------|----------------|
| स्कूल | डाक्स कोड | शैक्षणि के सब | ज़िला | क्षेत्र भा प्रकार | विकास खण्ड(ब्लॉक) | गाम / वार्ड | पिन कोड | पुलिस थाना | रेखांश | अक्षांश |
| Parents Pride Internation al School | 232713 28104 | 17 | खरगोन | यामोण | BADWAHA | Khudgaon | 451111 | थाना सनावद | 22.17 0369 5 | 76.068 5699 |

| स्कूल की समाजवादी जानकारी | |
|---|---|
| स्कूल प्रारंभ होने की तिथि: | 15/06/2015 |
| क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है? नहीं | |
| सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम | Shri Gyanpeeth Educational & Welfare Samiti |
| सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक | 03/30/07/12924/10 |
| स्वामी का नाम | |
| स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ समाप्ति का नाम | Anubhav Jain |
| पदनाम | President |
| मोबाइल | 9826624414 |
| ई-मेल | anubhavjain.iba@gmail.com |
| कार्यालय का पता | 65, M.G. Road, Sanawad Ditt. Khargaoan, 451111 |
| कार्यालय का दूरध्वाय | |

| स्कूल की प्रकृति | |
|---|--------------------------------------|
| शिक्षण का माध्यम | अंग्रेजी |
| मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार | महाशिला |
| क्या स्कूल आत्मसीय है? नहीं | |
| क्या स्कूल केवल दिव्यांग वर्ज्यों हेतु संचालित है? नहीं | |
| क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? नहीं | |
| प्रदेश की प्रारंभिक कक्षा | वी प्राइमरी-नर्सरी |
| प्रारंभिक कक्षा में प्रदेश की न्यूनतम आयु | 3 |
| स्कूल की अंतिम कक्षा | आठवीं |
| क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है? नहीं | |
| क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है? हाँ | |
| प्राधिकारी का नाम | Central Board Of Secondary Education |
| मान्यता क्रमांक | 1030955 |
| डाइस कोड(DISE) | |

क्या स्कूल राज्य सरकार / केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से नहीं
निःशुल्क अध्यवा रिआयती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण
अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संडिया में बलकि
को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?

| स्कूल का क्षेत्रफल | |
|---|----------------|
| विवरण | आवेदन में दर्ज |
| स्कूल के भवन की स्थिति | स्वयं का भवन |
| स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 81457 |
| स्कूल का निमित्त क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 33300 |
| खेल मैट्राइल का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 57957 |

| अधिसूचना का विवरण | | | |
|--|--------|------------------------|--|
| विवरण | संडिया | औसत आकार(वर्ग फीट में) | |
| कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष | 21 | 500 | |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 5 | 250 | |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 5 | 250 | |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 5 | 250 | |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 5 | 250 | |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 5 | 250 | |
| भोजनालय-सह-भण्डार | 0 | 0 | |

| पाठ्यबच्ची एवं पाठ्यक्रम का विवरण | |
|-----------------------------------|-------|
| विवरण | बोर्ड |

| स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण | | |
|--|----------------|------|
| विवरण | आवेदन में दर्ज | फोटो |
| क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है | हाँ | |
| पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची | हाँ | |
| खेलकूद एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची | हाँ | |
| पुस्तकालय की संडिया | 300 | |
| पत्रिकाएं/समाचार पत्र | 2 | |
| पेयजल सुविधा का प्रकार | Well | |
| पेयजल सुविधा की संडिया | 18 | |
| शौचालय का प्रकार (भारतीय/परिचनी/नहीं) | Indian | |
| लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संडिया | 4 | |
| लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संडिया | 22 | |
| विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संडिया | 2 | |

वया अद्वितीय सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है

हैं

नामांकन एवं शुल्क का विवरण

| कक्षा | कुल सीट | कुल नामांकित छात्र | स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें | वार्षिक शुल्क |
|-------|---------|--------------------|----------------------------|---------------|
|-------|---------|--------------------|----------------------------|---------------|

विद्यालय के प्राचार्य अथवा दृष्टिसाक्षाती के अध्यक्षापदानक का प्रमाणीकरण

| विवरण | हैं / नहीं |
|--|------------|
| प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संधारित बैबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है। | हैं |
| प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल युला रहेगा। | हैं |
| प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वयन देता है। | हैं |
| प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा दृष्टिसाक्षात के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाएंगे और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वयन देता है। | हैं |
| प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा दृष्टिसाक्षात के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाएंगे और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वयन देता है। | हैं |
| विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकारित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा। | हैं |

मान्यता संबंधी दृष्टिव्यवहार

| विवरण | अपलोड है (हैं / नहीं) |
|-------|-----------------------|
|-------|-----------------------|

स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

| कक्षा | विषय | पुस्तक | लेखक | आइएसबीएन नं. | अधिकारी द्वारा मूल्य |
|-------|------|--------|------|--------------|----------------------|
|-------|------|--------|------|--------------|----------------------|

अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

| शिक्षक का नाम | पिता / पति का नाम | जन्मतिथि | शिक्षणिक अहंता विषय सहित | व्यावसायिक अहंता | अध्यापन अनुभव(नहीं हो) अहंता | नियुक्ति दिनांक | कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं |
|---------------|-------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|
|---------------|-------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|

अधिनियम की धारा 12(1)(g) के प्रयोगन के लिए पड़ोस की सीमा

| धारा / वार्ड | पड़ोस का प्रकार |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड अकाउंटेंट द्वारा स्वीकृत होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। | प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 57415 एवं डाइस्कोड (DISE) 23271328104 है। | इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर सदर्जित किए जाएं।
- ऐसे रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय -समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए।

- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपांच्छद्य 'तीन' के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने तथा सिद्ध हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

अवधीय

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नाम

जिला विद्या
District Education Officer,
District Ratnagiri (M.P.)